न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2021	2021/84	12/50/2021	06.07.2021

01— सरकार जरिये बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ, जिला अलवर राजस्थान —प्रार्थी

बनाम

01— मैसर्स गुप्ता खाद बीज भण्डार मुण्डावर, अलवर प्रोपराइटर श्री गिरीराज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता निवासी मुण्डावर, जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत जब्त बाजरा 366 किलोग्राम व ग्वार 92 किलोग्राम बीज को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

01— जनार्दन शर्मा —वकील अप्रार्थी

—ःनिर्णयः—

प्रकरण बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ, जिला अलवर राजस्थान द्वारा पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 18.06.2021 को कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे गुण नियंत्रण अभियान खरीफ 2021 के तहत श्री गोपाल लाल मीणा सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढबास, श्रीमति आरती सैनी कृषि अधिकारी के साथ मुण्डावर क्षेत्र में कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण मैसर्स गुप्ता खाद बीज भण्डार द्वारा बिना लाइसेंस के बीज विक्रय करना पाया गया। फर्म के प्रोपराइटर से पूछताछ करने पर अवगत कराया गया कि बीज लाइसेंस नवीनीकरण हेतु उपनिदेशक कार्यालय में लम्बित है। उपनिदेशक कार्यालय की लाइसेंस शाखा से चर्चा में अवगत कराया गया कि उक्त फर्म का कोई नवीनीकरण लम्बित नहीं है फर्म द्वारा बिना लाइसेंस के बीच विक्रय किए जाने पर दुकान परिसर में मौजूद 458 किग्रा बीज (बाजरा 366 किग्रा व ग्वार 92 किग्रा) को जब्त करने कि कार्यवाई की गई। फर्म से जब्त किए गए 458 किग्रा बीज को ग्राम सेवा सहकारी समिति मुण्डावर के व्यवस्थापक को सुपुर्द कर प्राप्त कर ली गई। उक्त बीज को जब्त कर विक्रय पर रोक लगाने का नोटिस फर्म के प्रोपराइटर को दिया गया है उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(1) के तहत जब्त बाजरा व ग्वार के बीज को राजसात करने व निस्तारण की कार्यवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है उक्त फर्म पर प्रार्थी वैध्य रूप से अपना कारोबार संचालित करता है दिनांक 18.06.2021 को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की फर्म पर 458 किलोग्राम बीज जब्त करने की कार्यवाही की गई । प्रार्थी की फर्म के विरूद्ध बिना लाइसेंस विक्रय कार्य करने के कारण की गई जो गलत है प्रार्थी द्वारा कृषि

6/7

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

विभाग से खाद बीज विक्रय के लिए वैध लाइसेंस लिया हुआ है जिसका नवीनीकरण प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.09.2018 को करवाया गया है । जिसकी फीस 532 रूपये चालान द्वारा जमा कराई गई है। यह फीस तीन साल के लिए नवीनीकरण हेतु जमा की जाती है। विभाग द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण कर नही दिया गया है। जबकि प्रार्थी ने फीस वैध तरीके से जमा करा दी गई है जो फीस नवीनीकरण दिनांक 18.09.2021 तक वैध है इस प्रकार यह आरोप गलत है कि प्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस के खाद बीज का व्यापार किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा समस्त बीज अलग अलग फर्मो से पक्के बिल से क्रय किए हैं अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्रवाई को निरस्त कर प्रार्थी को उसके जब्तशुदा बीज दिलवाए जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीजर नोट एवं मौका पर्चा का अवलोकन किया गया जिसमें लिखा गया है कि फर्म का दिनांक 04.06.2021 को निरीक्षण किया गया था जिसमें उनके द्वारा लाईसेंस न दिखाए जाने , बीज को स्टॉक रजिस्टर में नहीं लेने आदि कारणों के मध्यनजर विक्री पर 30 दिवस हेतु रोक लगाई गई थी उक्त फर्म को दिनांक 06.06.2021 को पत्रांक 500–01 कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण 07 दिवस में चाहा गया परन्तु फर्म द्वारा 07 दिवस उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नही किया गया दिनांक 15.06.2021 को पत्रांक 690–92 दिनांक 15.06.2021 जारी कर पूर्व कारण बताओ नोटिस का जबाब चाहा गया परन्तु फर्म द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 16.06.2021 कों पुनः निरीक्षण करने पर पाया गया कि फर्म द्वारा बिक्री पर रोक लगाए गए बीज में से भी लगभग 50 प्रतिशत बीज विक्रय कर दिया तथा बताया गया कि मेरा बीज लाइसेंस एक दो दिन में नवीनीकृत होने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा। दिनांक 18.06.2021 को फर्म द्वारा यही बात दोहराई गई । उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है तथा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बीज बिक्रय किया जा रहा था

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ, जिला अलवर राजस्थान द्वारा जब्त किया गया 448 किलाग्राम बीज (बाजरा 366 किग्रा व ग्वार 92 किग्रा) को बिना विधिक लाइसेंस के बेचान किया जा रहा था तथा प्रार्थी को जरिये नोटिस भी सूचित किया गया तथा पाबन्द किया गया कि बिना लाइसेंस बेचान नहीं करे फिर भी स्टॉक से 50 प्रतिशत बीज का बेचान किया गया।

प्रार्थी का यह कृत्य विधि विरूद्ध है तथा ऐसी स्थिति में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीच नियंत्रण आदेश 1983 के तहत जब्त बीज को अपीलार्थी को सुपुर्द नहीं किया जा सकता है बल्कि क्रय विक्रय सहकारी समिति मुण्डावर को जो सुपुर्दगी दी है वह यथावत रहेगी तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति मुण्डावर को आदेश है कि वह बीज को नियमानुसार विक्रय हेतु उपयोग में ले तथा प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा करावे।

निर्णय की प्रति बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यायल सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढ, जिला अलवर राजस्थान को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/7/21

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार (द्वितीय) अलवर